राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

1.अपील/सीलिंग/1577/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1- कल्याण पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
2- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

2. अपील/सीलिंग/1578/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1- हनुमान पुत्र स्व0 छीतर, जाति दरोगा, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
2- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

3. अपील/सीलिंग/1579/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1- श्री किशन पुत्र स्व0 घीस्या, जाति बैरवा निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
2- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

4. अपील/सीलिंग/1580/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1- लल्लू पुत्र कजोड, जाति पटवा निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
2- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

5. अपील/सीलिंग/1581/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– कल्याण पुत्र महादेव, जाति धोबी, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

6. अपील/सीलिंग/1582/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– ग्यारसा पुत्र बिरदा, जाति माली, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

7. अपील/सीलिंग/1585/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– गोविन्दनारायण पुत्र बद्रीनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

8. अपील/सीलिंग/1586/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– गिर्राज पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

9. अपील/सीलिंग/1587/2005/दौसा

श्रीमती सुमान कॅवर धर्मपत्नी शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देलाल हाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– मदन पुत्र नानगा 2– किशोर पुत्र नानगा

3– फूल्या पुत्र नानगा 4– बाबू पुत्र नानगा

5– श्रीमती भागा बेवा नानगा

जाति हरिजन (भंगी) निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

6- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।

...........रेस्पोडेन्ट

एकल-पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित-

श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, राजकीय अभिभाषक रैस्पो0 राज्य पक्ष से
श्री श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक रैस्पो0 संख्या-1 (अपील संख्या 1577/2005, 1578/2005, 1580/2005)

निर्णय

दिनांक : 16.01.2020

हस्तगत सभी अपीलें धारा 23(2), राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4-3-2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं। सभी प्रकरणों में निहित तथ्य समान होने से एवं अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर भी सभी प्रकरणों को एक ही निर्णय के द्वारा निर्णित करने से, सभी प्रकरणों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में चस्पा किया जाये।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30-6-1976 को उप जिलाधिकारी, दौसा की अध्यक्षता में ग्राम टोडा ठेकला व ग्राम मोहम्मदपुरा में उपलब्ध भूमि जो सीलिंग अधिग्रहित भूमि थी, के आवंटन हेतु आवंटन कमैटी की बैठक का आयोजन किया गया और आवंटन कमैटी की राय से गोविन्दनारायण पुत्र बद्री नारायण ब्राह्मण को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 2 बिस्वा, ग्यारसा पुत्र बिरदा कौम माली को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, नानगा पुत्र छोटू भंगी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 6 बीघा 12 बिस्वा, महादेवा पुत्र छीतर धोबी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, लल्लू पुत्र कजोड पटवा को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, हनुमान पुत्र छीतर को खसरा नम्बर 139 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, लाद्या पुत्र झूँथालाल माली को खसरा नम्बर 63/1 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र सुवालाल को खसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र संवालाल ब्राह्मण को खसरा नम्बर 57 मि0 में से 2 बीघा 8 बिस्वा, भौर्‌या पुत्र रामपाल माली को ाखसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 11 बिस्वा, गोपाल पुत्र कालू नाई को खसरा नम्बर 57 में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटनों के विरुद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी ने नियम 17(4) आवंटन नियम, 1970 के तहत आवंटन निरस्त कराने हेतु अति0 कलक्टर, दौसा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित अपीलाधीन आदेश को द्वारा इन प्रार्थना पत्रों को खारिज किया है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष ये अपील प्रस्तुत की गई हैं।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस प्रारम्भ करते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी में से खसरा नम्बर 139/1 गंगाराम पुत्र नत्थाराम की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 63/1 व खसरा नम्बर 57 रघुनाथ पुत्र भूराराम की खातेदारी में दर्ज थी। दिनांक 30-6-1976 को खसरा नम्बर 139/1 मि0 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 83 एवं खसरा नम्बर 63/1 में से रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 मि0 में से रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 84 सीलिंग सिवाय चक के रुप में दर्ज किया जा कर अविधिक रुप से अप्रार्थीगण के नाम आवंटित किया गया है। यह समस्त कार्यवाही प्रश्नगत भूमि को आवंटन नहीं करने हेतु जारी किए गए स्थगन होने के बाबजूद की गई है और इस प्रकार से माननीय मण्डल द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश की पालना नहीं की गई है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से ना तो कोई आवेदन लिये गये हैं और ना ही किसी प्रकार की आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी की गई है और ना ही सिवाय चक भूमि के बाबत् किसी प्रकार का रजिस्टर बनाया गया है। इस प्रकार से आवंटन कार्यवाही में सीलिंग नियम 1973 के नियमों की पालना नहीं की गई है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि दिनांक 30.6.1976 को भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है और उसी दिनांक आवंटन कमैटी की बैठक करवा दी गई, जो कि संदिग्ध कार्यवाही है। सीलिंग अधिग्रहित भूमि का आवंटन एस0सी0/एस0टी0 के व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाता है किन्तु अन्य जाति के व्यक्तियों के पक्ष में ये आवंटन कर दिया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन से पूर्व प्रश्नगत आराजी का मौके पर मौका परीक्षण नहीं किया गया है और आवंटन उपरान्त आवंटीगण के पक्ष में किसी प्रकार से कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से अभिमत पारित करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए नियम 17(4) आवंटन नियम, 1970 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अति0 कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 4-3-2005 को निरस्त किया जाये और रैस्पो0 के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 30-6-1976 को निरस्त किया जाये।

5- राज्य पक्ष की ओर से योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी सीलिंग अधिग्रहित भूमि रही है जो कि राजकीय सिवाय चक भूमि की श्रेणी में आती है। आवंटन की कार्यवाही में राज्य पक्ष एवं आवंटीगण ही वास्तविक पक्षकार होते हैं। अपीलार्थी का किसी प्रकार का आवेदन आवंटन हेतु पैंडिंग नहीं रहा है और वे प्रकरण में किसी प्रकार से एग्रीव्ड भी नहीं हैं। असाधारण देरी से प्रस्तुत किए गए नियम 17(4) आवंटन नियम, 1970 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपील में किसी प्रकार का सार नहीं होने से अपील खारिज की जाये।

6- अपील संख्या 1577/2005, 1578/2005, 1580/2005 में रैस्पो0 संख्या-1 की ओर से उनके योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी सीलिंग अधिग्रहित भूमि रही है जो कि राजकीय सिवाय चक भूमि की श्रेणी में आती है। अतः अपीलार्थी तो

प्रकरण में किए गए आवंटनों से किसी प्रकार से व्यथित भी नहीं हैं और ना ही आवंटन के समय उनका किसी प्रकार का आवंटन आवेदन पैंडिंग रहा है। नियमानुसार आवंटन कमैटी द्वारा सिवाय चक भूमि में से रैस्पो0 के पक्ष में आवंटन किया है जो कि उसी ग्राम के निवासी हैं। जिस स्थगन आदेश का अपीलार्थी ने हवाला दिया है उसमें स्पष्ट नहीं है कि वह किस खसरा नम्बर के सम्बन्ध में है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के 10 वर्षो के पश्चात् आवंटीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और करीब 25 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आवंटनों को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा चाराजोही की गई है, जब कि खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त आवंटनों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि आवंटन को सिर्फ उसी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब कि वह फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन के आधार पर किया गया हो जब कि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन आवंटन कराने में किया गया हो, स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रुप से परीक्षण करते हुये अपीलार्थी के द्वारा आवंटन दिनांक 30–6–1976 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों को खारिज किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

8– प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि दिनांक 30–6–1976 को आवंटन कमैटी द्वारा गोविन्दनारायण पुत्र बद्री नारायण ब्राह्मण को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 2 बिस्वा, ग्यारसा पुत्र बिरदा कौम माली को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, नानगा पुत्र छोटू भंगी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 6 बीघा 12 बिस्वा, महादेवा पुत्र छीतर धोबी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, लल्लू पुत्र कजोड पटवा को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, हनुमान पुत्र छीतर को खसरा नम्बर 139 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, लाद्या पुत्र झूॅथालाल माली को खसरा नम्बर 63/1 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र सुवालाल को खसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र संवालाल ब्राह्मण को खसरा नम्बर 57 मि0 में से 2 बीघा 8 बिस्वा, भौर्या पुत्र रामपाल माली को खसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 11 बिस्वा, गोपाल पुत्र कालू नाई को खसरा नम्बर 57 में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। ये सभी आवंटन सीलिंग अधिग्रहित भूमि होने से और इस प्रकार आवंटित भूमि के राजकीय सिवाय चक भूमि हो जाने से, राजकीय भूमि में से किए गए हैं। अपीलार्थी/आवेदक का मुख्य आक्षेप यही है कि आवंटन कार्यवाही में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अति0 कलक्टर, दौसा ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि "प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया। स्थगन आदेश किस खसरा नम्बरान के बारे में है, स्पष्ट नहीं है। आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किए गए हैं वे भवानी प्रताप व सुभानकॅवर द्वारा प्रस्तुत किये हैं जब कि स्टे में रघुनाथ सिंह का नाम है।" अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में बिन्दु संख्या 4 में अपील संख्या

372/76 अनुवानी मंगेज सिंह बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल के दिनांक 8–6–1976 के स्थगन आदेश का उल्लेख किया है, किन्तु आशय का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपील के बिन्दु संख्या–5 में भी इसी आशय का उल्लेख किया है किन्तु इसे साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का माननीय मण्डल के स्थगन आदेश की अवहेलना कर आवंटन करने का जो आक्षेप रहा है वह संधारण योग्य नहीं है। प्रकरण में ये भी सुस्पष्ट है कि वर्ष 1976 में किए गए आवंटनों को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी/शिकायतकर्त्ता द्वारा वर्ष 2001 में काफी लम्बे समय के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जब कि आवंटन के 10 वर्ष उपरान्त ही खातेदारी पाप्त हो जाने का प्रावधान है। यहॉ ये भी अंकित किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी पक्ष ने ये आक्षेप नहीं लिया है कि आवंटन किसी प्रकार से फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन करते हुये कराया गया है जब कि आवंटन को उसी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब कि आवंटन कराने में किसी प्रकार से फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन किया गया हो। पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं रही है कि आवंटन फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन के आधार पर किये गए हैं। वर्ष 1976 में किए गए आवंटन को आज की स्थिति में केवल तकनीकी आधार मात्र पर निरस्त किया जाना नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों के स्पष्टतया प्रतिकूल है। जहॉ तक अपीलार्थी का प्रकरण में आवंटनों से व्यथित होने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि आवंटन सीलिंग अधिग्रहित राजकीय सिवाय चक भूमि में से किया गया है तो आवंटन के समय अपीलार्थी का आवंटन हेतु किसी प्रकार का आवेदन भी आवंटन कमैटी के समक्ष लंबित नहीं रहा है, अतः अपीलार्थी प्रश्नगत आवंटनों से किस प्रकार से व्यथित हैं ये भी समझ योग्य नहीं है। आवंटन कमैटी ने विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये उसी गॉव के भूमिहीन व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किए हैं। अतः प्रश्नगत आवंटनों में हम किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधता होना नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत रुप से परीक्षण करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवंटन नियम, 1970 के नियम 17(4) के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से हस्तगत अपीलों के माध्यम से इस निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य